

प्रेषक,

लीना जौहरी,  
सचिव एवं राहत आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
गाजीपुर, झासी एवं बहराइच।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक २। अक्टूबर, 2014

विषय: वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में दैवीय आपदा मद में  
धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष  
2014-15 में दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने हेतु  
निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि ₹0 2,17,29,786/- (रूपये दो  
करोड़ सत्रह लाख उन्तीस हजार सात सौ छियासी मात्र) निम्न विवरण के अनुसार आपके  
निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	जनपद का नाम/पत्रांक व दिनांक	स्वीकृत धनराशि (रूपये में)
1	गाजीपुर संख्या-1882 दिनांक 27.08.2014 (कृषि निवेश अनुदान हेतु)	1,90,512
2	झासी संख्या-2113 दिनांक 30-8-14 (गृह अनुदान हेतु)	1,39,47600
3	बहराइच संख्या-2032 दिनांक 27.09.2014 (खाद्यान, लंगर संचालन एवं अन्य (पी०एल०ओ० एवं विडापन प्रकाशन मद हेतु)	75,91,674
		रु0 2,17,29,786 /-
		(रूपये दो करोड़ सत्रह लाख उन्तीस हजार सात सौ छियासी मात्र)

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-  
व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत  
आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड  
से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।  
अग्रेतर यह सुनिश्चित किया जाय कि राज्य आपदा मोर्चक निधि की धनराशि का व्यय केवल

देवी आपदाओं- अग्निकाण्ड, भूस्खलन बाढ़ फटन, हिम स्खलन, चक्रवात सूखा, भूकम्प वाढ़, औलावृष्टि, कीट आक्रमण तथा सुनामी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के निमित्त किया जाय। सामान्य दुर्घटनाओं सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा फसाद, विद्युत आदि के कारण घटनाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

4- राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि देवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता वितरण करने के उद्देश्य से शा०प०स०-७८/पीएसआर/2012, दिनांक 24-10-2012 जिसके साथ भारत सरकार का पत्र संख्या-३२-७/२०११-एनडीएम-१ दिनांक 16-01-2012 की छायाप्रति संलग्न की गयी है, में जहो राहत प्रदान करने के लिए मानक निर्धारित है, उन मर्दों में आवश्यकतानुसार तत्काल व्यय की जायेगी। शासन के पत्र संख्या-जी०आई०-१८/१-१०-२०१२, दिनांक 25.10.2012 जिसके साथ भारत सरकार के पत्र संख्या-३२-३/२०१३-एनडीएम-१ दिनांक 28.09.2012 के माध्यम से एस०डी०आर०एफ०/ एन०डी०आर०एफ० से नोटिफाइड देवी आपदाओं के सम्बन्ध में कतिपय संशोधन करते हुये पुनरीक्षित नामंस की सूचना उपलब्ध करायी गई है, का अनुपालन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-३१७/१-११-२०१३, दिनांक 21-06-2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मर्दों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01-03-2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

5- उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन में निर्धारित एवं अह मानक मर्दों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मर्दों में राहत अनुमन्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाये। शासनादेश संख्या- 4464/१-१०-२००८-१४(45)/२००३, दिनांक 24-09-२००८ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये देवी आपदा की सभी मर्दों में दिये जाने वाले ₹० 2000/- तक की धनराशि का वितरण विवरर चेक के माध्यम से तथा ₹० 2000/- से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किया जाये।

6- राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

7- राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

8- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्ति किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सटुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से

प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

9- आपदा मोर्चक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा०-11, दिनांक 20-06-2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर फ़िड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोर्चक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-य०३०-२/१-११-२०१३-रा०-११, दिनांक 04-03-2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2015 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

10- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

11- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवनीया,

~~( लीना जाहरी )~~  
20/११/१४

सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या : १८८ (१) / १-१०-२०१४-३३(६१) / १४, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गाजीपुर, झांसी एवं वहराइच।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-५
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-१०/राजस्व अनुभाग-६/११, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ०प्र० शासन।

आज्ञा से:

( मदन माहन )  
अनु सचिव।